

No.13007/1/2020-NGE-CGA/ 231  
Government of India  
Ministry of Finance  
Department of Expenditure  
Controller General of Accounts  
(HR-4 Section)

Mahalekha Niyantak Bhawan  
GPO Complex, Block-E  
INA New Delhi.  
Email:- [hr4section-cga@gov.in](mailto:hr4section-cga@gov.in)  
Dated: 25, July, 2024

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Notification of the Central Civil Accounts Service, Senior Private Secretary (Group 'B' post) Recruitment Rules, 2024 & Central Civil Accounts Service, Stenographer Grade-II (Group 'C' post) Recruitment Rules, 2024 - reg.

I am directed to state that the Central Civil Accounts Service, Senior Private Secretary (Group 'B' post) Recruitment Rules, 2024 & Central Civil Accounts Service, Stenographer Grade-II (Group 'C' post) Recruitment Rules, 2024 have been published in "The Gazette of India: Extraordinary" bearing G.S.R 417(E) and G.S.R 416(E) respectively and came into force with effect from the date of publication of these Recruitment Rules i.e on 18.07.2024. A copy of notification is circulated herewith for information to all stakeholders.

  
(Nirbhay Kumar Singh)  
Sr. Accounts Officer

Encl.: As above.

To,

1. The Pr. CCAs/CCAs/CAs.
2. The Joint CGA (Admn.)/ PFMS HQ/Director General (INGAF)/ CC (Pension)/ CFC(Civil Aviation).
3. The ADG (Budget & Accounts), Prasar Bharti, M/o I&B.

Copy to:-

1. The U.S. (Ad.I), Department of Expenditure, Ministry of Finance for information.
- 2/ The Sr. AO, ITD Section with request to upload on CGA's website.

भारत का राजपत्र  
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18072024-255522  
CG-DL-E-18072024-255522

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 380]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 18, 2024/आषाढ 27, 1946

No. 380]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 18, 2024/ASHADHA 27, 1946

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

(महालेखा नियंत्रक)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2024

सा.का.नि. 417(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केन्द्रीय सिविल लेखा सेवा (वरिष्ठ निजी सचिव) भर्ती नियम, 2002 को, उन बातों के सिवाए अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे आधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप लिया गया है, केन्द्रीय सिविल लेखा सेवा में वरिष्ठ निजी सचिव के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

- संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सिविल लेखा सेवा, वरिष्ठ निजी सचिव (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2024 है।  
(2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर - उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे जुड़ा वेतन मैट्रिक्स का स्तर इन नियमों में जुड़ी अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में निर्दिष्ट होगा।

3. भर्ती की विधि, आयु-सीमा, अहर्ताएं, आदि - भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अहर्ताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में निर्दिष्ट होंगे।

4. भारत के किसी भी भाग में सेवा करने का दायित्व - (1) वरिष्ठ निजी सचिव को भारत के किसी भी भाग में सेवा करने का दायित्व होगा।

(2) यदि महालेखा नियंत्रक को यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक या समीचीन है, तो वह आदेश द्वारा तथा लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, अधिकारी के अनुरोध पर वरिष्ठ निजी सचिव को उसी ग्रेड में एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में स्थानांतरित कर सकता है। ऐसे मामलों में वरिष्ठ निजी सचिव के स्थानांतरण से उसके ग्रेड में उसकी वरिष्ठता प्रभावित नहीं होगी।

5. निरर्हता - कोई भी व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका पति या पत्नी जीवित है; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर लिया है,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लिखित में दर्ज करके तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए इस संबंध में समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार दिए जाने वाले आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

#### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण
(1)	(2)	(3)
वरिष्ठ निजी सचिव	07*(2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन संभव।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अनुसचिवीय

वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन पद है या गैर-चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा
(4)	(5)	(6)
वेतन मैट्रिक्स (रु.47,600-1,51,100) में स्तर-8 टिप्पण:-नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन के रूप में चार वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने पर वेतन मैट्रिक्स (रु 53,100-1,67,800) में स्तर-9	चयन	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं।	क्या सीधी भर्ती के लिए लागू आयु और शैक्षिक अर्हता प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी?	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति, क्या सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा, अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा।	<p><b>प्रोन्नति:</b> वेतन मैट्रिक्स (रु 44,900-1,42,400) में स्तर-7 में निजी सचिव, जिसने उस ग्रेड में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो।</p> <p><b>टिप्पण:</b> जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उन्होंने अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न किया हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के साथ, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति:</b> केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधीन आशुलिपिक का पद धारण करने वाले ऐसे अधिकारी,-</p> <p>(क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद पर हों; या</p> <p>(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (रु 44,900-1,42,400) में स्तर-7 या समकक्ष में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के बाद निजी सचिव ग्रेड में दो वर्ष की सेवा।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर आए व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 3:</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना क्या है?	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल हैं:-	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।
1. संयुक्त लेखा महानियंत्रक -अध्यक्ष;	
2. मुख्य लेखा नियंत्रक -सदस्य;	
3. लेखा नियंत्रक - सदस्य।	

[फा. सं. एनजीई-13007/1/2020-एनजीई-सीजीए]

तृप्ति पात्रा घोष, संयुक्त महालेखा नियंत्रक

**MINISTRY OF FINANCE**  
(Department of Expenditure)  
(CONTROLLER GENERAL OF ACCOUNTS)  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th June, 2024

**G.S.R. 417(E).**— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Civil Accounts Service (Senior Private Secretary) Recruitment Rules, 2002, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules to regulate the method of recruitment to the post of Senior Private Secretary in the Central Civil Accounts Service, namely:-

**1. Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Central Civil Accounts Service, Senior Private Secretary (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of post, classification and level in pay matrix.** - The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

**4. Liability for service in any part of India.** - (1) The Senior Private Secretary shall be liable to serve in any part of India.

(2) The Controller General of Accounts may, if satisfied that it is necessary or expedient in public interest so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, transfer the Senior Private Secretary on request by officer from one Ministry to the other Ministry in the same grade. The transfer of the Senior Private Secretary in such cases shall not affect his or her seniority in his or her grade.

**5. Disqualification.** - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**6. Power to relax.** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**7. Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, the Ex- servicemen

and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

## SCHEDULE

Name of post (1)	Number of post (2)	Classification (3)
Senior Private Secretary	07*(2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Ministerial.

Level in the pay matrix. (4)	Whether selection post or non-selection post. (5)	Age-limit for direct recruits. (6)
Level-8 in the pay matrix (Rs. 47,600-1,51,100).  Note:- Level-9 in the pay matrix (Rs.53,100-1,67,800) on completion of four years regular service as Non Functional Upgradation.	Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits (7)	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees (8)	Period of probation, if any (9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods. (10)	In case of recruitment by promotion or by deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made. (11)
By promotion, failing which by deputation.	<p><b>Promotion:</b></p> <p>Private Secretary in level-7 in the pay matrix (Rs.44,900-1,42,400) with two years regular service in the grade.</p> <p><b>Note:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Deputation:</b></p> <p>Officers holding the post of Stenographer under the Central Government or State Governments or Union territory administrations,-</p> <p>(a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with two years service in the Private Secretary grade rendered after appointment to the post on a regular basis in level-7 in the pay matrix (Rs.44,900-1,42,400) or equivalent in the parent cadre or department.</p>

	<p><b>Note 1:</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> The period of deputation including the period of deputation in another ex- cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 3:</b> The Maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.</p>
--	--

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
<p><b>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-</b></p> <p>1. Joint Controller General of Accounts -Chairperson;</p> <p>2. Chief Controller of Accounts -Member;</p> <p>3. Controller of Accounts -Member.</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.</p>

[F. No. NGE-13007/1/2020-NGE-CGA]

TRIPTI PATRA GHOSH, Jt. Controller General of Accounts.

भारत का राजपत्र  
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18072024-255518  
CG-DL-E-18072024-255518

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 379]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 18, 2024/आषाढ 27, 1946

No. 379]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 18, 2024/ASHADHA 27, 1946

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

(महालेखा नियंत्रक)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2024

सा.का.नि. 416(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय सिविल लेखा सेवा (आशुलिपिक समूह 'ग') भर्ती नियम, 2000, जहाँ तक उनका संबंध आशुलिपिक ग्रेड-III पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, केंद्रीय सिविल लेखा सेवा में आशुलिपिक ग्रेड-II के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय सिविल लेखा सेवा, आशुलिपिक ग्रेड-II (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।



2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उनका स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से जुड़ी अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि - उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भारत के किसी भी भाग में सेवा करने का दायित्व - (1) आशुलिपिक ग्रेड-II भारत के किसी भी भाग में सेवा करने के लिए दायी होंगे।

(2) यदि महालेखा नियंत्रक को यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक या समीचीन है, तो वह आदेश द्वारा तथा लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, अधिकारी के अनुरोध पर आशुलिपिक ग्रेड-II को उसी ग्रेड में एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में स्थानांतरित कर सकता है। ऐसे मामलों में आशुलिपिक ग्रेड-II के स्थानांतरण से उसके ग्रेड में उसकी वरिष्ठता प्रभावित नहीं होगी।

5. निरर्हता:- वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पत्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लिखित में दर्ज करके तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए इस संबंध में समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार दिए जाने वाले आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

#### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
आशुलिपिक ग्रेड-II.	55*(2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसूचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (₹ 25,500-81,100)

क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएँ।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।
(5)	(6)	(7)	(8)
लागू नहीं होता।	18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए चालीस वर्ष तक छूट)।	(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण; (ii) कौशल परीक्षा मानदंड:	लागू नहीं होता।

	टिप्पण: आयु-सीमा निर्धारित करने की महत्वपूर्ण तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।	केवल कंप्यूटर पर श्रुतलेखन: 10 मिनट @80 शब्द प्रति मिनट। लिप्यंतरण: 50 मिनट (अंग्रेजी) या 65 मिनट (हिन्दी)।	
--	--	--	--

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा होगी तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, ग्रेड जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(9)	(10)	(11)
दो वर्ष टिप्पण: केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किए अनुसार परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का आवश्यक प्रवेश प्रशिक्षण करना होगा।	कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती। टिप्पण: अभ्यर्थी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण पर या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक की अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से, जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं और जिनके पास सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तंभ 7 के अधीन विहित शैक्षिक अर्हताएं हैं, प्रतिनियुक्ति पर भरी जा सकेंगी।	लागू नहीं होता

यदि कोई विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) में शामिल होंगे: 1. लेखा नियंत्रक या उप महालेखा नियंत्रक - अध्यक्ष; 2. उप लेखा नियंत्रक - सदस्य; 3. वरिष्ठ लेखा अधिकारी - सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. एनजीई-13007/1/2020- एनजीई-सीजीए]

तृप्ति पात्रा घोष, संयुक्त महालेखा नियंत्रक

**MINISTRY OF FINANCE**  
**(Department of Expenditure)**  
**(CONTROLLER GENERAL OF ACCOUNTS)**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th June, 2024

**G.S.R. 416(E).**— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Civil Accounts Service (Stenographer Group 'C') Recruitment Rules, 2000, in so far as it relates to the post of Stenographer Grade-III except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules to regulate the method of recruitment to the post of Stenographer Grade-II in the Central Civil Accounts Service, namely:-

**1. Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Central Civil Accounts Service, Stenographer Grade-II (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of post, classification and level in pay matrix.** - The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age-limit, educational qualification, etc.** - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

**4. Liability for service in any part of India.** - (1) The Stenographer Grade-II shall be liable to serve in any part of India.

(2) The Controller General of Accounts may, if satisfied that it is necessary or expedient in public interest so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, transfer the Stenographer Grade-II on request by officer from one Ministry to the other Ministry in the same grade. The transfer of the Stenographer Grade-II in such cases shall not affect his or her seniority in his or her grade.

**5. Disqualification.** - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from operation of this rule.

**6. Power to relax.** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**7. Savings.** - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, ex- servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

Name of post (1)	Number of post (2)	Classification (3)	Level in pay matrix (4)
Stenographer Grade-II.	55*(2024) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Level-4 in the pay matrix (Rs.25,500-81,100).

Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(5)	(6)	(7)	(8)
Not applicable	Between 18 and 27 years. (Relaxable for Government Servants upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).  <b>Note:</b> The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	(i) 12 <sup>th</sup> class pass from a recognised Board or University; (ii) Skill Test Norms: Only on computer dictation: 10 minutes @ 80 words per minute. Transcription: 50 minutes (English) or 65 minutes (Hindi).	Not applicable

Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grade from which promotion or deputation/absorption to be made.
(9)	(10)	(11)
Two years.  <b>Note:</b> There shall be mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	Direct recruitment through Staff Selection Commission.  <b>Note:</b> Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation from the officials of the Central Government holding analogous posts on regular basis and possessing the qualifications prescribed for direct recruits at column (7).	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
<b>Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:</b>  1. Controller of Accounts or Deputy Controller General of Accounts - Chairperson; 2. Deputy Controller of Accounts - Member; 3. Senior Accounts Officer -Member.	Not applicable.

[F. No. NGE-13007/1/2020-NGE-CGA]

TRIPTI PATRA GHOSH, Jt. Controller General of Accounts.